

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

No--- 93/A

Dated--- 04.12.2015

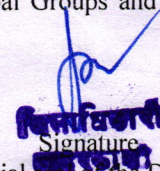
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.5375 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti (Awsesh Bhag Ka Bistar) Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Thunara village(s) in Mori tehsil(s).

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.5375 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT : UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr C. S. Kumar ~~deputy~~ deputy commissioner, Uttarkashi on dated ...4/12/2015... at time ...1.1.30 AM... at Uttarkashi, in which application claiming rights in R.F. area measuring ...4.5375.... hect for the construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level Purola committee of Purola sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 04.12.2015


प्रतिनिधि
Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी आराकोट - कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.9825 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.2925 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 4.7625 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 8.9375 हे० वन भूमि (पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 28/11/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड-मोरी स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के.के. सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री K.K. Singh उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री श्री. ए. वि. शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोरी सदस्य/सचिव
- 3- श्री सुनील शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोरी सदस्य
- 4- श्री जी. देवी बी०डी०सी० क्षेत्र आराकोट (अवशेष भाग का विस्तार) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग 5.00 Km परियोजना हेतु 4.7625 हे० वन भूमि पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री श्री. ए. वि. शर्मा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) 5.00 Km परियोजना हेतु 4.7625 हे० वन भूमि पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मोरी
जनपद उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मोरी
जनपद- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — थुनारा

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच - थुनारा डामटी
(अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3.9825 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2925 हे0 सिविल सोयम भूमि, 4.275 हे0 वन भूमि का लोडिंग/पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थुनारा द्वारा दिनांक 19/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं है, उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थुनारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोडिंग/पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम विकास अधिकारी
ह0/-
ग्राम पंचायत-
ग्राम सचिव
मुहर सहित
जिला-

खुश
ग्राम प्रधान-थुनारा
ग्राम प्रधान (सरपंच)
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 26/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थुनारा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	विनोद सिंह राणा	विनोद
2)	केश सिंह	केश सिंह
3)	अकबर सिंह	अकबर सिंह
4)	सुरेश राणा	शुरेश
5)	चमन लाल	चमन लाल
6)	नरेश दास	नरेश दास
7)	कमल सिंह	KD Singh
8)	राजय रावत	राजय रावत
9	अमित	अमित
10	अर्जुन दास	अर्जुन
11	कुलदीप राणा	Kuldeep Rana
12	सचन लाल	Sachan Lal
13	मोहन	मोहन
14	केशोर	केशोर
15	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
16	जगमोहन	जगमोहन
17	प्रकाश सिंह	प्रकाश
18	विनोद सिंह	विनोद सिंह
19	नरेश सिंह	नरेश
20	बिना कुडियाल	Binu
21	महेश सिंह राणा	महेश सिंह राणा
22	प्रमोद सिंह राणा	प्रमोद राणा
23	सुन सिंह	सुन सिंह
24	गड्डू राणा	गड्डू राणा
25	अशपाल सिंह	अशपाल
26)	मोहर सिंह	Mohar Singh

27	शालिग्राम कुडियाल	शालिग्राम
28	बपना सिंहरा	बपना सिंहरा
29	जयचन्द कुडियाल	जयचन्द
30	विमेश रायत	विमेश
(31)	जोबिन्द राम देवगं (आमोर कमीश)	जोबिन्द
(32)	विनोद सिंह	विनोद
(33)	युमन राणा	युमन
34-	राजगोविन्द	राजगोविन्द
(35)	चन्द्रमोहन बसोडी	चन्द्रमोहन
(36)	नली सिंह राणा	नली सिंह
(37)	अनूप राणा	अनूप
(38)	सूरदास सिंह शुक्ला	सूरदास
39	मनो सिंह	मनो सिंह
(40)	पुष्पक सिंह	पुष्पक
(41)	B.S. Ramay जयवाग	विमल विमल
42	मिश्रा सिंहरा	मिश्रा
43	राजपाल राणा	राजपाल
44	गुरुराज डेवर राणा	गुरुराज
45	सुरेश	Shresh
46	गुन्दन सिंह	गुन्दन
47	जगत सिंह	जगत
48	पमाला सिंह	पमाला
49	मउलाल रायत	मउलाल
50	Narendev	Narendev
51	विश्वनाथ	विश्वनाथ
52	बलदेव	Baldev
53	मजान पांडे	मजान पांडे
54	मनो कुमार	Manu
55	दीपक कुमार	दीपक
56	लकेन्द्र	Lakendra
57	पवन	Pawan

कृ.म. सं.सं. 9
म.सं. 60
विकास 60
ज.सं. 61



विन्दूला चौहान
प्रधान
ग्राम पंचायत-कलीच
वि.सं. नारा(उत्तरकाशी) विमल

प्रधान बलम
ग्राम पंचायत-थुनारा
वि.सं. नारा(उत्तरकाशी)

गिह देवी